खण्ड के असंवैधानिक होने के आधार प्रस्तुत करने को कहा था। परन्तु इसके लिये यथेष्ट वातावरण की आवश्यकता है। केवल पांच मिनट में मैं यह कुछ नहीं कर सकता, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि खण्ड 11 स्वर्णकारों तथा इस धन्धे में लगे अन्य लोगों पर पूरा नियन्त्रण करना चाहता है तथा संविधान की धारा 19 (जी) के विरुद्ध है, जिसमें हर नागरिक को कुछ अपवाद छोड़कर किसी भी व्यवसाय, व्यापार, धन्धे आदि के करने के लिये छूट दी गई है। इस विधेयक के लिये दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं—एक तो यह कि यह सामान्य जनता के हित में हो तथा दूसरे यह कि ये शर्तें संगत हों। इस विधेयक को भली प्रकार समझने के लिये सारे ही विधेयक का अध्ययन करना आवश्यक है। इस विधेयक के लिये तीन कारण किये गये हैं—यह तस्करी को रोकेगा, यह स्वर्ण के प्रति मोह को घटायेगा तथा सरकार के धन स्रोतों में वृद्धि करेगा। परन्तु ये तीनों कारण अनुभव की कसौटी पर असफल हुए हैं। सोने के दाम बहुत ऊंचे बढ़ गये तथा इसी के साथ ही तस्करी में वृद्धि हुई है। सामान्य जनता का कोई हित नहीं हुआ।

स्वर्ण के प्रति लोगों का मोह घटाने वाली बात भी झूंठ ही सिद्ध हुई क्योंकि आज लोग स्वर्ण का मूल्य पहले से 70 प्रतिशत अधिक देने को तैयार हैं। तीसरा कारण था सरकार की आर्थिक आय बढ़ाना सो यह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि यद्यपि आर्थिक स्थिति सुधरी है, विदेशी मुद्रा बढ़ी है, फिर भी तस्करी में इस कदर वृद्धि हुई है कि ये दोनों उद्देश्य विफल हो गये हैं।

अब मैं उप प्रधान मन्त्री से यह पूछता हूं कि इससे जनता का कौनसा हित पूरा हुआ है। क्या लोगों का अधिक गुप्त ढंग से ऋण लेने, अधिक ब्याज दर देने, अपनी अनभिज्ञता के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने अथवा नित्य प्रति आत्म हत्या करने को बाध्य होना ही जनता का हित है।

अगला उपबन्ध न्यायसंगत प्रतिबन्ध के बारे में है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सवा पांच बज गये हैं।

चैकोस्लोवेकिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय आज जो चेकोस्लोवेकिया में हो रहा है उसकी सूचना सभा को मैं बड़े भारी मन तथा गहरी चिन्ता से दे रही हूं।

संसार में हम स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के पोषक हैं, अतः प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता के हम समर्थक रहे हैं। अपना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये हमने अपने कुछ सिद्धान्त

बना रखे है, इन सिद्धान्तों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व अर्थात किसी देश के आन्तरिक मामलों में दखल न देना भी एक बड़ा आधार भूत सिद्धान्त है । हम विश्वास करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाये रखने हेतु हमें हर छोटे अथवा बड़े देश की अपनी प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता का खयाल रखना है । जब भी इन सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है भारत ने सदा अपनी आवाज ऊंची की है ।

हमें संसार के समाचार पत्रों, रेडियो तथा हमारी स्वयं की उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार मालूम हुआ है कि सोवियत संघ तथा वारसा संधि के अन्य चार देशों की सेनाओं ने आज भारतीय समय के अनुसार 01.30 बजे चकोस्लोवेकिया की सीमाओं को पार करना आरम्भ किया । मालूम हुआ है कि वे अब प्राग तथा चैकोस्लोवेकिया के अन्य नगरों में हैं । सोवियत संघ के दिल्ली स्थित अधिकारी ने भी हमें यह सूचना दी है, तथा अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है ।

चैकोस्लोवेकिया से हमारी पुरानी मित्रता है । वर्ष 1938-1939 में हुई दुःखदायी घटनाओं के समय भी हमारी सहानुभूति चैकोस्लोवेकिया तथा वहां के लोगों के साथ थी । मुझे विश्वास है कि आज भी सारी सभा मेरे साथ मिलकर आज की स्थिति में चैकोस्लोवेकिया के साथ अपनी चिन्ता प्रकट करेगी ।

सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी तथा बुलगारिया से हमारे सम्बन्ध अनेक तरह से बड़े निकट के हैं । हम मित्रता का आदर करते हैं तथा इसे निरन्तर बनाये रखने के इच्छुक हैं । चैकोस्लोवेकिया में होने वाली घटनाओं पर हम अपना क्षोभ प्रकट किये बिना नहीं रह सकते । अतः यह सभा निस्सन्देह यह कहेगी कि वे देश तथा उनकी सेनायें इन परिणामों के बारे में पूरी तरह सोच-विचार करेंगे ।

हम योरूप पर छाये भय तथा इन मतभेदों के कारण हो सकने वाले विश्व-युद्ध की सम्भावना के बारे में भी पूरी तरह अवगत हैं । मुझे विश्वास है कि सभा मेरे इस मत से सहमत होगी कि चैकोस्लोवेकिया में प्रवेश करने वाली सेनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चैकोस्लोवेकिया से वापस आजाना चाहिये तथा वहां के लोगों को अपनी इच्छानुसार अपने हितों, अपनी समस्याओं आदि के बारे में स्वयं निश्चय करने दिया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि चैकोस्लोवेकिया तथा सम्बद्ध देशों के मध्य कोई शान्तिपूर्ण फैसला हो जावेगा । किसी भी देश को शान्तिपूर्ण तथा किसी बाहरी दखल के बिना रहने से केवल धर्म अथवा सिद्धान्तों के आधार पर ही नहीं रोका जाना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या उनके पास श्री कोशिजन के त्यागपत्र के बारे में कोई अन्तिमतम् समाचार है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । अभी अभी टेलीप्रिन्टर पर समाचार मिला है कि श्री कोशिजन तथा वहां के उप-प्रधान मन्त्री ने त्याग पत्र दे दिया है । मैं नहीं जानता कि प्रधान मन्त्री इस बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई अधिकृत समाचार नहीं है। पी० टी० आई० ने भी सोवियत रक्षा मन्त्री के त्याग पत्र की बात कही है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : उन लोगों को देखिये कि विरोध रूप में उन्होंने त्यागपत्र तक दे दिया। परन्तु हमारी प्रधान मन्त्री खुलकर इसकी निन्दा भी नहीं कर सकती। सरकार की इस असफलता पर एक पूरा वाद-विवाद होना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। मैंने भी प्रातः कहा था कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिये। मेरा विचार था कि प्रधान मन्त्री से हुई दलों के नेताओं की बैठक में कोई हल निकल आया होगा, परन्तु अभी तक मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अभी अभी मुझे टेलीप्रिन्टर से समाचार मिला था, परन्तु मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है क्योंकि बाद में समाचारों का खण्डन भी होता है। यदि रूस में कुछ हो रहा है तो यह गम्भीर बात है। हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। (व्यवधान) हम विवाद के लिये कल कोई समय तय कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : हमारी प्रधान मन्त्री के वक्तव्य ने हमें निराश किया है। हम चाहते थे कि उनका व्यवहार एक प्रजातंत्र देश की प्रधान मन्त्री की तरह होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। यहां योग्यता की बात आ रही है। श्री नाथ पाई।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरे विचार से हमें क्षमा मांगनी चाहिये कि यहां की जानकारी के बारे में आपको अन्धकार में रखा गया है। हम आपके कहने पर प्रधान मन्त्री से केवल इस उद्देश्य के लिये मिले थे, ताकि इस नग्न आक्रमण की भर्त्सना करने वाला एक प्रस्ताव रख कर अपने गहरे क्षोभ को व्यक्त कर सकें। हम एक राष्ट्रीय मत एकत्रित करना चाहते थे। हम जानते थे कि इस बारे में सर्व सम्मति नहीं हो सकती क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि चैकोस्लोवेकिया स्वतन्त्र कराया गया है न कि ····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। श्री नाथपाई भी कृपया बैठ जायें। सब बैठ जाइये। सभी दल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु आप सब शान्त रहिये। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता था कि हम यह वाद-विवाद कर सकते हैं, क्योंकि वह भी एक दल की नेता हैं। (व्यवधान) अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सभा के नेता बतायें कि हम कब यह वाद विवाद करें। प्रधान मन्त्री कृपया इस बारे में बतायें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह हम आप पर छोड़ते हैं। हम वाद-विवाद को टालना नहीं चाहते।

मैं तो यही कहूंगी कि विपक्षी सदस्यों तथा अपने दल के सदस्यों के कहने पर ही मैंने यह वक्तव्य दिया है अन्यथा आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री को छोड़ कर किसी ने भी अधिकृत वक्तव्य नहीं दिया हैं। सभी मामले पर विचार कर रहे हैं तथा जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। (व्यवधान) और यही किया भी जाना चाहिये। सरकार को विभिन्न सूत्रों से अधिकृत जान-

कारी प्राप्त करनी होती है। इसके लिये समय भी चाहिये। यही बात मैंने कही थी। सभी लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

जहां तक वाद-विवाद की बात है, इसके लिये समय आप अपनी सुविधानुसार तय करें। हम बीच में नहीं आना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : हम कल इस पर वाद-विवाद करेंगे। समय तय किया जायेगा। मैं अन्य सभी दलों के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वह ये बात मुझ पर छोड़ दें। मैं कल जल्दी ही समय निश्चित कर दूंगा। मैं समझता हूं कि श्री डांगे तथा अन्य सदस्य मुझसे सहमत होंगे। हमें एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये। हम सभी को जिज्ञासा है। सब लोग कल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह वाद-विवाद सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर होगा या कि प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के ऊपर ? आप सबसे पूर्व प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद-विवाद कराइये।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : I do not have any objection to the time and date you fix up. But as the Prime Minister also admits that the four countries of Warsaw pact have invaded a weak country; and as her statement will appear as a representative national statement, I request that it may also be added in the statement that this House condemns this action of those countries.

अध्यक्ष महोदय : आप योग्यता की बात पर जा रहे हैं। उसके लिये यह समय नहीं है। कुछ सदस्यों की यह आदत हो गई है कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो भी वे उठकर चिल्लाना आरम्भ कर देते हैं। यह आदत छोड़ दी जानी चाहिए। डा० राम सुभगसिंह तथा अन्य दलों के नेता सभा विसर्जित होने पर मेरे कमरे में आकर बात-चीत कर सकते है। हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे। प्रधान मंत्री नहीं आ सकेंगी क्योंकि उन्हें राज्य-सभा में वक्तव्य देना है। मैं दल के नेताओं से मेरे कमरे में आने की प्रार्थना करता हूँ।

अब मैं कल प्रात: ग्यारह बजे तक के लिये सभा स्थगित करता हूँ।

इसके बाद लोक-सभा गुरुवार दिनांक 22 अगस्त, 1968/31 श्रावण 1890 (शक) के ग्यारह बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha thne adjourned till Eleven of the Clock on Thursday August 22, 1968/ Sravana 31, 1890 (Saka)